प्रेस नोट
दिनांक 03.10.2024

थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत हुई 08 माह की बच्ची की हत्या की घटना का सफल अनावरण, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–400/24, धारा 103,238 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्ता जगमती पत्नी माताफेर नि0 ग्राम मेहरवान पुरवा मौजा अभईपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को ग्राम मेहरवान पुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 28/29.09.2024 की देर रात्रि थाना परसपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत मेहरवान पुरवा मौजा अभईपुर के एक घर से 08 माह की बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की गयी तो परिजनों द्वारा किसी जानवर द्वारा बच्ची को उठा ले जाने की आशंका जतायी गयी। मौके पर वनविभाग व डॉग स्क्वायड टीम को बुलाकर जांच करायी गयी तथा बच्ची की तलाश हेतु 04 टीमों का गठन कर अगल–बगल के खेतों की सघन कांबिंग अभियान चलाया गया। दिनांक 30.09.2024 को पुलिस टीमों द्वारा जांच के क्रम में शक के आधार पर घर के ठीक पीछे बने सेफ्टी टैंक को वाटर पम्प की मदद से खाली कराया गया जिससे बच्ची का शव बरामद हुआ। शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया जिसमें बच्ची के मृत्यु का कारण पानी में डूबने से आया। घटना के सम्बन्ध में पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत जांच कर घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त मृत बच्ची की मां जगमती पत्नी माताफेर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्ता जगमती का पति माताफेर मुम्बई में रहकर काम करता है जिसका अभियुक्ता से काफी लम्बे समय से विवाद चल रहा था। बच्ची के जन्म के समय भी माताफेर घर नही आया हुआ था। जिसकारण पति–पत्नी के बीच अक्सर पति के घर न आने की बात को लेकर विवाद हुआ करता था। घटना वाले दिन अभियुक्ता की मोबाइल से 4/5 बार पति से बात हुई थी तथा बच्ची की बात को लेकर भी काफी झगड़ा हुआ था। जिसकारण अभियुक्ता द्वारा गुस्से में आकर बच्ची को घर के पीछे बने सेफ्टी टैंक में डाल दिया था तथा घटना को छुपाने हेतु बच्ची को किसी जानवर द्वारा उठा ले जाने की बात लोगो को बतायी गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. जगमती पत्नी माताफेर नि0 ग्राम मेहरवान पुरवा मौजा अभईपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–400/24, धारा 103,238 बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
थानाध्यक्ष परसपुर दिनेश कुमार सिंह मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.10.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–270/24, धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों–01. लुटई पुत्र भगोले, 02. रियासत पुत्र इंताब अली निवासीगण मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा, 03. हरीश जायसवाल पुत्र शिवनाथ जायसवाल नि0 बेलसर खास रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार, 03 बोर कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.09.2024 को वादी विमल सिंह पुत्र विजय सिंह नि0 गोरछन पुरवा लिलोई कला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी ठेकेदारी का काम करता है। प्रार्थी की ग्रामसभा गंगरौली में 11 हजार एल0टी0 लाइन लगाने की साइड चल रही है जहां से अज्ञात चोरो द्वारा बिजली के केबल चोरी कर ले गए है। प्रार्थी की तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 03.10.2024 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों–लुटई पुत्र भगोले, रियासत को कठुआ पुल के पास से तथा चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी हरीश जायसवाल को उसके घर से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार, 03 बोरे कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. लुटई पुत्र भगोले नि0 मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. रियासत पुत्र इंताब अली नि0 मंगलपुरवा मौजा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. हरीश जायसवाल पुत्र शिवनाथ जायसवाल नि0 बेलसर खास रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–270/24, धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस व 5(ख) उ0प्र0वि0 के तार एवं ट्रांसफार्मर अधिनियम 1976 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 08 बण्डल बिजली के एल्यूमिनियम तार।
02. 03 बोर कटे हुए बिजली के एल्यूमिनियम तार।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता।
02. उ0नि0 सुमित कुमार सिंह।
03. उ0नि0 अभिलेख तिवारी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट,</u>
<u>दिनांक 03.10.2024</u>

<u>थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त दिव्यांश पासवान पुत्र स्व0 विजय कुमार नि0 ग्राम परसिया डीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 02.10.2024 को सोशल मीडिया (फेसबुक) के माध्यम से एक लडके का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल होने का प्रकरण संज्ञान में आया था। आज दिनांक 03.10.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा वायरल प्रकरण की जांच की गयी तथा अभियुक्त दिव्यांश पासवान से वायरल फोटो के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त दिव्यांश पासवान द्वारा उक्त फोटो स्टैपचैट के माध्यम से वायरल होने हेतु बताया गया। वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त दिव्यांश पासवान की निशानदेही से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. दिव्यांश पासवान पुत्र स्व0 विजय कुमार नि0 ग्राम परसिया डीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01- मु0अ0स0–379/2024, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 कैलाशनाथ।
02. हे0का0 पंकज सिंह।
03. हे0का0 रावत यादव।
04. का0 नागेन्द्र यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 03.10.2024</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा नवरात्रि/दुर्गापूजा के दृष्टिगत को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र में भ्रमणकर आमजनमानस को कराया सुरक्षा अहसास, दुर्गा पांडालों का स्थलीय निरीक्षण कर आयोजको से वार्ता कर दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 03.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ_थाना को0 नगर क्षेत्र के अन्तर्गत रानी बाजार में निर्मित दुर्गा पूजा पांडाल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा को0 नगर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गस्त कर आमजनमानस को सुरक्षा का अहसास दिलाया गया। महोदय द्वारा मूर्ति आयोजकों से वार्ताकर त्योहार के संबंध में शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने व शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि नवरात्रि/दुर्गापूजा त्योहार के दृष्टिगत गोण्डा पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए है। श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गो, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है तथा पर्याप्त संख्या में पुरूष/महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। संवेदनशील स्थलों पर सी0सी0टी0वी0/ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी करवायी जा रही है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा प्रभारी यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि भारी वाहन शहर या भीड़ भाड़ वाले इलाको मे प्रवेश न हो तथा भीड़भाड़ वाले रास्तों का डायवर्जन जरूर करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 03.10.2024

बलवा करते हुए जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0– 261/24, धारा 191(2),115(2),352,351(3),324(5),119(1),333,109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों–01. फरहान पुत्र गुफरान अली नि0 लोहरा जोत कमल पेट्रोल पम्प थाना को0 नगर, 02. अरमान पुत्र जाहिद अली नि0 लोहरा जोत कमल पेट्रोल पम्प थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 03. अनवर पुत्र कादिर हुसैन नि0 ग्राम पूरे अकराम मौजा राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को जोतिया बेलहरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद जेसीबी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 28.09.2024 को वादी अतीकुर्रहमान पुत्र बैजपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थी की अलावल देवरिया स्थित नव निर्मित दुकान को बलवा करते हुए जे0सी0बी0 से ढहा दिया है तथा गाली–गुप्ता देते हुए जानलेवा हमला किया गया है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में 05 नामजद व 04 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 परशुराम सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 03.10.2024 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में 03 वांछित अभियुक्तों–01. फरहान पुत्र गुफरान अली, 02. अरमान पुत्र जाहिद अली, 03. अनवर पुत्र कादिर हुसैन को जोतिया बेलहरी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद जेसीबी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. फरहान पुत्र गुफरान अली नि0 लोहरा जोत कमल पेट्रोल पम्प थाना को0 नगर।
02. अरमान पुत्र जाहिद अली नि0 लोहरा जोत कमल पेट्रोल पम्प थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. अनवर पुत्र कादिर हुसैन नि0 ग्राम पूरे अकराम मौजा राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0– 261/24, धारा 191(2),115(2),352,351(3),324(5),119(1),333,109(1) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 05 अदद मोबाइल।
02. 01 अदद घटना में प्रयुक्त जे0सी0बी0।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 जय हिन्द।
02. हे0का0 आनन्द सिंह।
03. हे0का0 मान सिंह।
04. आरक्षी शाकिर अली।

मीडिया सेल, गोण्डा।